

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांक : यो०मो०-03-कार्य-10-15/2026-2093

प्रेषक,

ई० ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 01/09/26

विषय : बांका जिलांतर्गत शंभूगंज प्रखंड के गढ़ी मोहनपुर के निकट NPCIL द्वारा प्रस्तावित 2x700 MWe Nuclear Power Plant (NPP) के लिये बढुआ जलाशय से 80 MCM वार्षिक जलापूर्ति उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग : अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड का पत्रांक 604 दिनांक 14.07.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर परिक्षेत्राधीन कार्यान्वित "बाढ़ अवधि में गंगा नदी के अधिशेष जल को बढुआ तथा खड़गपुर जलाशय में अंतरण कार्य" के अंतर्गत गंगा नदी से बढुआ जलाशय में 04 माह के स्थान पर 11 माह तक जलांतरण करने हेतु केंद्रीय जल आयोग की सहमति/अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त वांछित जल की आवश्यकता को पूर्ण किया जा सकता है।

उक्त के आलोक में निदेशानुसार मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर द्वारा समर्पित प्रस्ताव एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्तों के साथ बांका जिलांतर्गत शंभूगंज प्रखंड के गढ़ी मोहनपुर के निकट NPCIL द्वारा प्रस्तावित 2x700 MWe Nuclear Power Plant (NPP) के लिये बढुआ जलाशय से 80 MCM वार्षिक जलापूर्ति उपलब्ध कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है:-

1. गंगा नदी से बढुआ जलाशय में 04 माह के स्थान पर 11 माह तक जलांतरण करने हेतु केंद्रीय जल आयोग की सहमति/अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त वांछित 80 MCM वार्षिक जल उपलब्ध कराया जा सकेगा।
2. प्रस्तावित Nuclear Power Plant (NPP) के संचालन के उपरान्त प्राप्त जल (प्रतिवर्ष 22 MCM) को राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार आवश्यक उपचार एवं रेडियेशन-रहित कर Flowback के रूप में बढुआ जलाशय में NPCIL द्वारा वापस प्रवाहित किया जायेगा।
3. नदी से औद्योगिक आवश्यकता हेतु जल की आपूर्ति के लिए बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित जल कर/शुल्क इत्यादि अनुमान्य होगा।
4. प्रस्तावित जलापूर्ति संबंधी निर्माण कार्य अथवा उपयोग के दौरान जल संसाधन विभाग की किसी भी परिसम्पत्ति की क्षति होने पर जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के निदेशानुसार कार्यकारी विभाग अपने खर्च पर आवश्यक कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।

N

5. प्रस्तावित जलापूर्ति संबंधी निर्माण कार्य के रूपांकण एवं आलेख्य पर कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बिजीखोरवा की सहमति के उपरान्त ही निर्माण कार्य किया जायेगा।
6. प्रस्तावित निर्माण कार्य अथवा उपयोग के दौरान संभावित दुर्घटना से बचाव हेतु आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कार्य कराने की जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी। निर्माण कार्य अथवा उपयोग के दरम्यान कोई आकस्मिक दुर्घटना घटित होने की परिस्थिति में इसकी पूर्ण जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी।
7. प्रस्तावित जलापूर्ति संबंधी निर्माण कार्य अथवा उपयोग के दौरान विभागीय भूमि पर से अवशिष्ट पदार्थ (Waste Material) को हटाने की जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी।
8. प्रस्तावित जलापूर्ति संबंधी निर्माण कार्य अथवा उपयोग के दरम्यान जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कार्यहित में दिया गया निदेश मान्य होगा।
9. प्रस्तावित कार्य से विभागीय स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा।
10. उक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : यो०मो०-03-कार्य-10-15/2026-2093

पटना, दिनांक : 01/09/26

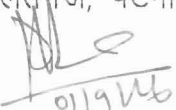
प्रतिलिपि : अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सर्पित।


अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : यो०मो०-03-कार्य-10-15/2026-2093

पटना, दिनांक : 01/09/26

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, लोअर गंगा बेसीन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, अदालतगंज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : यो०मो०-03-कार्य-10-15/2026-2093

पटना, दिनांक : 01/09/26

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अचल, खड़गपुर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बिजीखोरवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : यो०मो०-03-कार्य-10-15/2026-2093

पटना, दिनांक : 01/09/26

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, आई०टी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख, मुख्यालय